

## अनुच्छेद 371A एवं नगालैंड में कोयला खनन पर इसका प्रभाव

### प्रलिस के लयि:

[अनुच्छेद 371A, रेट-होल माइनगि](#)

### मेन्स के लयि:

अनुच्छेद 371A की सीमाएँ एवं चुनौतयिँ, सतत् खनन प्रथाएँ, सरकारी नीतयिँ एवं हस्तकषेप

[स्रोत: द हद्वि](#)

### चर्चा में क्यँ?

भारतीय संवधिन के [अनुच्छेद 371A](#) के कारण नगालैंड में कोयला खनन का वनियिमन गंभीर रूप से बाधति है। वशिष रूप से [रेट-होल माइनगि](#) वसिफोट में हाल ही में हुई मौतों के आलोक में, नागा प्रथागत कानून को संरक्षति करने वाला यह खंड सरकार के लयि छोटे पैमाने पर खनन को वनियिमति करना और अधिकि जटलि बना देता है।

### भारतीय संवधिन का अनुच्छेद 371A क्या है?

- नगालैंड (तत्कालीन नागा हलिस औएवंर तुएनसांग कषेत्र) को वशिष प्रावधान प्रदान करते हुए, वर्ष 1962 में 13वें संशोधन के हसिसे के रूप में अनुच्छेद 371A को संवधिन (भाग XXI) में प्रस्तुत कयि गया था।
- अनुच्छेद 371A के अनुसार, जब तक नगालैंड वधिन सभा एक प्रस्ताव द्वारा नरिणय नहीं लेती, संसद का कोई भी अधनियिम नागाओं की धार्मकि अथवा सामाजकि प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रयि, नागरकि एवं आपराधकि न्याय प्रशासन के संबंध में नागालैंड पर लागू नहीं होगा। इसमें नागा प्रथागत कानून के अनुसार कयि गए नरिणय और साथ हीभूमतिथा उसके संसाधनों का स्वामतिव एवं हस्तांतरण शामिल है।
- इसका मतलब यह है किराज्य सरकार के पास भूमि और उसके संसाधनों पर सीमति अधिकार तथा अधिकार कषेत्र है, जो स्थानीय समुदायों के स्वामतिव एवं नरिंत्रण में हैं व उनके प्रथागत कानूनों और प्रथाओं द्वारा शासति हैं।

### कसि राज्य में कब लागू हुआ अनुच्छेद 371 और क्यँ?

राज्य	आर्टिकल	कब लागू	किसलिए
महाराष्ट्र (पहले बॉम्बे राज्य)	371	1950	विदर्भ, मराठवाड़ा के विकास के लिए
गुजरात (पहले बॉम्बे राज्य)	371	1950	सौराष्ट्र, कच्छ के विकास के लिए
नगालैंड	371A	1962	नगा संस्कृति के संरक्षण के लिए
असम	371B	1969	जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए
मणिपुर	371C	1971	पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए
आंध्र प्रदेश (अब आंध्र और तेलंगाना दोनों के लिए)	371D, 371E	1973	सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए
सिक्किम	371F	1975	सिक्किम गठन और राज्य की शांति व्यवस्था के लिए
मिजोरम	371G	1986	मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए
अरुणाचल प्रदेश	371H	1986	राज्य की कानून और व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए
गोवा	371I	--	गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए
कर्नाटक	371J	2012	हैदराबाद-कर्नाटक रीजन के विकास के लिए

## नगालैंड में रैट-होल माइनिंग को कैसे वनियमित किया जाता है?

### ■ नगालैंड में कोयला खनन:

- नगालैंड के पास कुल 492.68 मिलियन टन का महत्त्वपूर्ण कोयला भंडार है, लेकिन यह बड़े क्षेत्र में फैले छोटे-छोटे हिस्सों में वनियमित और असंगत रूप से फैला हुआ है।
- वर्ष 2006 में स्थापित नगालैंड कोयला खनन नीति, कोयला भंडार की बखिरी हुई प्रकृति के कारण रैट-होल माइनिंग की अनुमति देती है, जिससे बड़े पैमाने पर संचालन अव्यवहार्य हो जाता है।
  - रैट-होल माइनिंग संकीर्ण कषैतजि सुरंगों या रैट-होल से कोयला निकालने की एक वधि है, जिसे अक्सर हाथ से खोदा जाता है और दुर्घटनाओं तथा पर्यावरणीय खतरों का खतरा होता है।
- रैट-होल माइनिंग/खनन लाइसेंस, जिन्हें स्मॉल पॉकेट डेपॉजिट लाइसेंस के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से वैयक्तिक भूमि स्वामियों को सीमिति अवधि और वशिष्ट शर्तों के साथ प्रदान किये जाते हैं।
  - नगालैंड कोयला नीति, 2014 (प्रथम संशोधन) की धारा 6.4 (ii) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिये तथा 1,000 टन की वार्षिक कोयला उत्पादन सीमा के साथ भारी मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबिध है।

- रेट-होल खनन कार्यों के लिये पर्यावरणीय नयियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये वन और पर्यावरण सहित संबंधित विभागों से सहमति की आवश्यकता होती है।
- राज्य सरकार द्वारा जारी उचित मंजूरी और परभाषित खनन योजनाओं के बावजूद, नगालैंड में अवैध खनन जारी है।
  - जीविका के लिये कोयला खनन पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता अवैध खनन के संबंध में वनियामक प्रयासों को और जटिल बनाती है क्योंकि कड़े नयिम स्थानीय समुदायों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं जिसका समाधान करने के लिये आर्थिक हितों और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 371A और नगालैंड में रेट-होल खनन पर नयित्तरण:
  - यह अनुच्छेद नगालैंड के समुदायों को उनकी भूमि और संसाधनों पर विशेष अधिकार अक प्रावधान करता है जिससे सरकारों के लिये इन अधिकारों को प्रभावित करने वाले नयिम कार्यान्वयन करना मुश्किल हो जाता है।
  - नगालैंड सरकार लघु स्तर के खनन कार्यों, विशेष रूप से अनुच्छेद 371A से संबंधित प्रावधानों के आधार पर वैयक्तिक भूमि स्वामियों द्वारा किये जाने वाले खनन कार्यों को प्रभावी ढंग से वनियमित करने के लिये संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।
  - रेट-होल खनन के दौरान हाल ही में हुई मौतें अनयिमति खनन प्रथाओं से संबंधित सुरक्षा जोखिमों को उजागर करती हैं। ये घटनाएँ उचित सुरक्षा उपायों के अभाव को दर्शाती हैं और प्रभावी नयियों के कार्यान्वयन की तात्कालिकता को उजागर करती हैं।

नोट:

- सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरति अधिकरण ने वर्ष 2014 में रेट-होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और यह खनिकों के जीवन के लिये खतरा है। अधिकरण ने इसे अवैज्ञानिक करार दिया।

## आगे की राह

- अवैध खनन गतिविधियों पर नकैल कसने के लिये नगिरानी और प्रवर्तन उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिये नगिरानी, नरीक्षण एवं दंड में वृद्धि शामिल है।
- सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के अनुपालन के महत्त्व पर जोर देते हुए, अनयिमति खनन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में स्थानीय समुदायों को शक्ति करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये।
- संधारणीय और ज़मिमेदार खनन प्रथाओं के लिये व्यापक रणनीति विकसित करने की दशा में सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों, खनन लाइसेंस धारकों एवं पर्यावरण संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

और पढ़ें: [रेट-होल माइनिंग](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

Q. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन अभी भी विकास के लिये अपरहार्य है"। वविचना कीजिये। (2017)